राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2014 / 8030-8145 दिनांक : 28/07/14

परिपत्र

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 यथा संशोधित 2011 के पैरा 50 के अनुसार प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने एवं भू–जल शक्यता का संवर्द्धन करने से सम्बन्धित कार्यों को लिये जाने का उल्लेख है। इस क्रम में विभागीय पत्रांक 597–669 दिनांक 14.06.2010 के द्वारा प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत भवनों / सामुदायिक भवनों / विद्यालय भवनों इत्यादि के छत के पानी को एकत्रित करने हेतु रूफटोप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्थापित करने एवं इसके साथ टांका निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्य प्राथमिकता पर सम्पादित करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में उक्त कार्यों के साथ–साथ प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य भी प्राथमिकता से सम्पादित किये जावें :–

1. आईडब्ल्यूएमपी परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित गांवों का बरसाती पानी बहकर अन्ततः जिस आऊटलेट पर इक्ट्ठा होता है वहां उन्हें संग्रहीत करने हेतु एक कवर्ड टांके का निर्माण किया जावे, ताकि यह वर्षा जल भू जल के संवर्द्धन हेतु उपयोग में आ सके।
2. परियोजना क्षेत्र में स्थित राजकीय भवनों की छतों के पानी एवं विद्यालय परिसर में स्थित खेल के मैदान के पानी को इक्ट्ठा करने के उद्देश्य से उपयुक्त स्थान पर ढलान के अनुसार टांका / कवर्ड टैंक बनाया जावे, ताकि इसमें संग्रहीत जल का उपयोग विद्यालय परिसर के पेड़–पौधों को सींचने (Watering) में किया जा सके। उक्त कार्य के साथ–साथ यथा स्थान परिसर में वृक्षारोपण का कार्य भी सम्पादित कराया जावे।

उक्त कार्य प्राथमिकता पर लिये जावें एवं परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भी सम्मिलित करवाया जावे।

28.7.14

(एम.एस.काला)
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2014 / 8030 - 8145 दिनांक : 28/07/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर

6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर ।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
9. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय, जयपुर ।
10. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को आपके अधीन सभी फील्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवा कर अनुपालना सुनिश्चित करावें।
11. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

25.7.14

निदेशक